**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 949**
**दिनांक 8 दिसम्बर 2025**

## तेल और गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा

949 **डा. अजित माधवराव गोपछड़े**
क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भूमिगत गैस पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में अनधिकृत खुदाई रोके जाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं, क्योंकि ऐसी अनधिकृत खुदाई के कारण आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं;
(ख) क्या केंद्र सरकार तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई तंत्र स्थापित करने का विचार रखती है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा के संबंध में दक्षिण कोरिया सरकार के कानून का संज्ञान लिया है; और
(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इसी तरह का कानून लाने का इरादा रखती है या ऐसे विदेशी कानूनों में से ऐसे किसी प्रमुख तत्व की पहचान की गई है जिसे लागू किया जा सके ?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) तेल और गैस कंपनियों ने भूमिगत तेल और गैस पाइपलाइनों को बिना अनुमति खुदाई से बचाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रियल-टाईम में निगरानी के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए),नियमित सुरक्षा गश्त, रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली (एलडीएस), जन जागरूकता अभियान, पाइपलाइन में अंतर्वेधन का पता लगाने वाली प्रणाली (पीआईडीएस), नेगेटिव प्रेशर वेव लीक डिटेक्शन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित पाइपलाइन मैपिंग आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (पी एंड एमपी) अधिनियम, 1962 पाइपलाइन उपयोगकर्ता के अधिकार (आरओयू) क्षेत्र में स्थायी संरचना के निर्माण या वृक्षारोपण को प्रतिबंधित करता है और पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाने पर कारावास समेत सज़ा का प्रावधान करता है। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तत्वाधान में, आस-पास के किसी भी क्षेत्र में नई परियोजना गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से यूटिलिटी मालिकों को अधिसूचित किया जाता है। इससे संभावित उल्लंघन की पहचान करने में मदद मिलती है। दूरसंचार विभाग ने एक एप्लीकेशन सीबीयूडी (कॉल बिफोर यू डिग) बनाया है और इसे तेल और गैस कंपनियां कार्यान्वित कर रही हैं ताकि खुदाई करने वाली एजेंसियों और तेल और गैस कंपनियों के जीएज (भौगोलिक क्षेत्र) के बीच तालमेल बिठाया जा सके ताकि इस तरह सीजीडी (नगर गैस वितरण) अवसंरचना में होने वाली घटनाओं और नुकसान को कम किया जा सके। पाइपलाइन की जगहों की पहचान करने, पाइपलाइन की गहराई तय करने और क्रॉसिंग के काम के लिए मंज़ूरी लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद हैं। इस तरह, तेल और गैस कंपनियां भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों को सुरक्षित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखती हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****